

राजस्थान सरकार
प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांक: प. 7(5)प्राशि/आयो/2015

जयपुर, दिनांक: 21.06.2017

आदेश

प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक F.6(18)AR/Gr-3/2017 Jaipur dated 18.05.2017 के अंतर्गत राज्य में डी.एल.एड./डी.पी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली निजी गैर अनुदानित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के शुल्क वृद्धि के संबंध में शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कमेटी की अनुशंसा के आधार पर निम्न आदेश पारित किए जाते हैं:-

1. वर्ष 2017-18 से डी.एल.एड. पाठ्यक्रम का शुल्क राज्य में संचालित राजकीय/गैर राजकीय संस्थाओं के लिये 16250/- रु. वार्षिक निर्धारित किया जाता है।
2. इसी प्रकार डी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु शुल्क भी डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के शुल्क के समान 16250/- रु. प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है।
3. प्रत्येक जिले की डाईट द्वारा जिले की गैर सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को अकादमिक कार्यों में सम्बलन हेतु डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से प्रति विद्यार्थी से प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में 16250/- वार्षिक शुल्क के साथ-साथ 250/- रु. अतिरिक्त अकादमिक सम्बलन राशि ली जायेगी। इस प्रकार कुल राशि 16500/- रु. वार्षिक शुल्क प्रत्येक विद्यार्थी से लिया जाएगा। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों से यह राशि समन्वयक, बीएसटीसी/डी.एल.एड. (सामान्य/संस्कृत) प्रवेश पूर्व परीक्षा द्वारा ली जाकर अकादमिक सम्बलन राशि को समान रूप से विभाजित कर राज्य में संचालित समस्त डाईट्स के डीडीएमसी कोष में समान राशि जमा/हरतान्तरित की जाएगी। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों से सम्बन्धित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अकादमिक सम्बलन राशि ली जाकर जिले में संचालित डाईट के डीडीएमसी कोष में जमा/हरतान्तरित करवाई जाएगी।
4. नवीन शुल्क की व्यवस्था वर्ष 2017-18 से प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर लागू होगी। 2017-18 के द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु शुल्क पूर्व की भांति यथावत (11250/- रुपये) निर्धारित रहेगा।
5. यह शुल्क आदेश राज्य की समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं पर लागू होगा।
6. राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत महिला एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में शिक्षण शुल्क में दी जा रही छूट यथावत रहेगी।

6

7. डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु वार्षिक निर्धारित शुल्क 16250/- का मदवार विवरण निम्नानुसार होगा:-

राशि रूपयो में

कं सं.	मद	उपमद	डी.एल.एड.	
			राशि	योग
1	शिक्षण शुल्क	---	9000	9000
2	छात्र कोष शुल्क	पंजीयन	100	7250
		कौशल मनी	100	
		बिजली पानी	1500	
		गृह परीक्षा शुल्क	500	
		खेलकुद	500	
		पुस्तकालय / वाचनालय	800	
		प्रयोग शाला शुल्क	500	
		शैक्षिक तकनीकी	700	
		कम्प्यूटर शुल्क	800	
		आकस्मिक व्यय	1750	
	महायोग			16250

विशेष नोट:- इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 3 के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी से 250 रूपये वार्षिक अकादमिक सम्बलन राशि भी ली जाएगी।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।